



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938

No. 537]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

आय-कर

का.आ. 600(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी को विदेशी कंपनी के रूप में और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के बीच 20 जनवरी, 2013 को हुए समझौता ज्ञापन को, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग तथा बैंक मर्कजी जमहूरी इस्लामी ईरान के बीच 16 अगस्त, 2016 को हस्ताक्षरित बैठक के कार्यवृत्त द्वारा संशोधित किया गया था, इस शर्त के अधीन रहते हुए करार के रूप में अधिसूचित करती है कि उक्त विदेशी कंपनी भारत में पूर्वोक्त करार के अधीन आय की प्राप्ति से भिन्न किसी अन्य कार्यकलाप में नहीं लगेगी।

2. यह अधिसूचना 16 अगस्त, 2016 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 13/2017/फा.सं. 370142/2/2017-टीपीएल]

राजेश कुमार केडिया, निदेशक

स्पष्टीकारक ज्ञापन :- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।